<table>
<tr><th>आदेश की कम संख्या और तारीख</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>25-07-2017</td><td>

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

<u>विविध वाद संख्या–134/2017</u>

<u>धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>

खालीद रजा वगैरह ------- प्रथम पक्ष

<u>बनाम्</u>

इसहाक मियाँ ---------द्वितीय पक्ष

यह वाद आवेदकगण खालीद रजा पिता लेयाकत हुसैन(सचिव) एवं फिरदौस आलम पिता जलील पवरीया (अध्यक्ष)सुन्नी यादे हुसैन कमिटी ग्राम–खाटीन, थाना–छत्तरपुर, जिला–पलामू ने इसहाक मियाँ पिता साबिर मियाँ एवं अन्य चार ग्राम–खाटीन, थाना– छत्तरपुर, जिला–पलामू के विरुद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक–616 दिनांक–18.05.2017 के द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने अपने अप्राथमिकी सं0–1331/17 दिनांक 20.05.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

</td><td>P.N. 73 18.10.17
P.N. 75 20.10.17</td></tr>
</table>

अनुसूची 14– फारम संख्या–562

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	जिसमें मौजा–खाटीन के खाता संख्या–08, प्लॉट संख्या–337, रकबा $0.02\frac{1}{3}$ एकड़, चौहद्दीः– उत्तर–रास्ता, दक्षिण–रमजान अलि वगैरह, पूरब–समुजी साव, पश्चिम–रास्ता एवं मौजा–खाटीन, खाता सं0–08, प्लौट सं0–338, रकबा–0.01 एकड़ उत्तर–रास्ता, दक्षिण–रमजान अलि, पूरब–समुजी साव पश्चिम–रास्ता की भूमि के लिए धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। उभय पक्षों से कारण–पृच्छा की मांग की गयी। प्रथम पक्ष की ओर से कारण–पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। प्रथम पक्ष की ओर से विधिवत पैरवी भी नहीं किया गया। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय पक्ष का कथन है कि गत सर्वे खतियान में अधिन जोलहा के नाम से सम्पूर्ण खतियानी रकबा–0.07 एकड़ है। खतियानी रैयत अधिन जोलहा के दो पुत्र रहिम मियाँ एवं सबीर मियाँ थे। खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात् उक्त दोनों भाई ने ग्राम–खाटीन के खाता सं0–08, प्लौट सं0–337, एवं 338 सम्पूर्ण रकबा–0.07 एकड़ का $\frac{1}{2}$ भाग अर्थात $0.03\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बंटवारा कर दखल कब्जा में रहे। द्वितीय पक्ष सबीर मियाँ के वंशज हैं, जब कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज नहीं हैं। प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि, मदरसा के नाम पर खरीदगी भूमि बताते हैं। उक्त भूमि हनिफ मियाँ मदरसा मुतवली	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सदर के नाम से कमिटि का उल्लेख है उस नाम से कमिटि नहीं है। प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष का 0.02 एकड़ में मकान तथा 0.01 एकड़ पर घर–बारी के रुप में है जो द्वितीय पक्ष का मौरुषी भूमि है तथा शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष की ओर से अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से अपने दावे के समर्थन में दादा के नाम से खतियान पिता एवं चाचा के नाम से सरकारी रसीद आदि समर्पित किये है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना । अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं कागजातों का अवलोकन किया । प्रथम पक्ष की ओर से स्वत्व वाद सं0 50/2017 सिविल जज जुनियर डिविजल डालटनगंज,पलामू में चल रहा है का उल्लेख किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा खतियानी रैयत के कुल 0.07 एकड़ भूमि है और खतियानी रैयत के दो पुत्र हैं, दोनो मौरुषी भूमि का आधा–आधा $\frac{1}{2}$ भाग के हिस्सेदार है। प्रथम पक्ष को इस्माइल मियाँ पिता साबीर मियाँ ग्राम–खाटीन ने केवाला सं0–1999, दिनांक–04.03.2004 के द्वारा मौजा खाटीन के खाता सं0 08, प्लॉट सं0 337 रकबा 0.02 $\frac{1}{2}$ एकड़ एवं खाता सं0 08,प्लॉट सं0– 338, रकबा 0.01 एकड़ मदरसा हेतु हनिफ ,मियाँ मौजा– खाटीन को विकी किये हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इस्माइल मियाँ	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	तीन भाई होते हैं तथा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्री किये हैं। यह वाद दिवानी प्रकृति का है जो इस न्यायालय में निपटारा संभव नहीं है। अतः इस वाद का अग्रेतर कार्रवाई समाप्त किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** 25/07/17 अनुमंडल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर(पलामू)। 25/07/17 अनुमंडल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर(पलामू)।	